संख्या-31/2026/1130/पन्चानबे-2026

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगाड्र्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगाड्र्स अनुभाग लखनऊ : दिनांक 07 जुलाई, 2026

विषय- उत्तर प्रदेश होम गाड्र्स विभाग के अधीन कार्यरत होम गाड्र्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

होम गाड्र्स विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्यरत होम गाड्र्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों एवं उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान किए जाने के दृष्टिगत साचीज (स्टेट एजेन्सी फॉर कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ इंटीग्रेटेड सर्विसेज) के माध्यम से प्रति परिवार प्रतिवर्ष रू0 5.00 लाख की सीमा तक राजकीय चिकित्सालयों तथा साचीज (स्टेट एजेन्सी फॉर कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ इंटीग्रेटेड सर्विसेज) से संबद्ध निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आई0पी0डी0 (अंतर्रोगी विभाग) में उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा की अनुमन्यता हेतु सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

(1) उत्तर प्रदेश होम गाड्र्स विभाग के अन्तर्गत कार्यरत होम गाड्र्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा अनुमन्य कराये जाने में प्रति परिवार रू0 3000/- (प्रशासनिक मद रू0 50/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष सहित) वार्षिक प्रीमियम की दर से अनुमानित प्रतिवर्ष वित्तीय व्यय भार का विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	होम गाड्र्स स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी जो पात्र होंगें	संख्या	वित्तीय व्यय भार/लागत
1	होम गाड्र्स स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी	118348	रू0 35.50 करोड़

(2) उपरोक्त व्यय भार प्रति होम गाड्र्स स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी रू0 3000/- (प्रशासनिक मद रू0 50/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष सहित) की प्रीमियम की दर से वार्षिक एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुमानित है। योजना के क्रियान्वयन हेतु होम गार्ड्स विभाग द्वारा आय-व्ययक में आवश्यक बजट व्यवस्था करायी जायेगी तथा वास्तविक व्ययभार के विवरण के अनुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त कैशलेस उपचार सुविधा योजना को साचीज (स्टेट एजेन्सी फॉर कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ इंटीग्रेटेड सर्विसेज), आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से कराया जायेगा। उक्त सुविधा राजकीय चिकित्सालयों तथा साचीज से सम्बद्ध निजी चिकित्सालयों में अनुमन्य होगी, जिसकी दरें वहीं होगी जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा समय-समय पर संसूचित की जायेगी।

(4) उपरोक्तानुसार कैशलेस उपचार सुविधा के अन्तर्गत होम गार्ड्स विभाग के अन्तर्गत कार्यरत होम गार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्य लाभार्थी होंगे।

(5) यदि कोई होम गार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना (यथा- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान आदि) से आच्छादित है, तो उन्हें इस योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(6) उक्त लाभार्थियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप में होम गार्डस विभाग द्वारा प्रति वर्ष कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज (स्टेट एजेन्सी फॉर कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ इंटीग्रेटेड सर्विसेज), आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि पात्र लाभार्थियों एवं परिवारों को इसका लाभ दिये जाने हेतु आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उन्हें सम्मिलित अथवा विलोपित करते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जा सके।

(7) उक्त कैशलेस चिकित्सा की सुविधा का लाभ होम गार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों को उनके सेवाकाल में ही अनुमन्य होगा अर्थात उनकी सेवा समाप्ति के उपरांत उक्त सुविधा का लाभ उन्हें अनुमन्य नहीं होगा और उनको निर्गत आयुष्मान कार्ड को निरस्त किया जाएगा।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।

(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3) अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

(4) प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

(5) समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

(6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज (स्टेट एजेन्सी फॉर कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ इंटीग्रेटेड सर्विसेज), आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, लखनऊ।

(7) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) होमगार्ड्स विभाग, उ0प्र0।

(8) वित्त नियंत्रक, होमगार्ड्स मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जय सिंह
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।